प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : माननीय श्री राजीव गुप्ता न्यायाधीश एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश।

दांडिक अपील क्रमांक 897/1996

ताती माला

बनाम

मध्य प्रदेश शासन्

(अब छ.ग. शासन्)

और

सम्बद्ध दांडिक अपील क्रमांक 898 और 899 /1996

विचारणार्थ निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

श्री सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

माननीय श्री राजीव गुप्ता न्यायाधीश

मैं सहमत हूं ।

सही/-

मुख्य न्यायाधीश

दिनांक 08 अक्टूबर 2012 को निर्णय हेतु सूचीबध्द करें।

सही/-

श्री सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : माननीय श्री राजीव गुप्ता न्यायाधीश एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश।

दांडिक अपील क्रमांक 897/1996

अपीलार्थीगण ताती माला पिता मुक्का मुरिया, उम्र लगभग 22 साल निवासी टिक्कानपल, भट्टीपारा, पुलिस थाना कुकोन्डा, जिला बस्तर, म.प्र. (अब छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश शासन

(अब छ.ग.शासन)

द्वारा पुलिस थाना कुकोन्डा, जिला बस्तर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दांडिक अपील क्रमांक 898/1996

अपीलार्थीगण ताती लिंगा पिता मुक्का मुरिया, उम्र लगभग 22 साल निवासी टिक्कानपल, भट्टीपारा, पुलिस थाना कुकोन्डा, जिला बस्तर, म.प्र. (अब छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश शासन

(अब छ.ग.शासन)

द्वारा पुलिस थाना कुकोन्डा, जिला बस्तर

और

दांडिक अपील क्रमांक 899/1996

अपीलार्थीगण — ताती भिमा पिता लेगामी मुरिया, उम्र लगभग 22 साल निवासी टिक्कानपल, भट्टीपारा, पुलिस थाना कुकोन्डा, जिला बस्तर, म.प्र. (अब छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी — मध्य प्रदेश शासन

(अब छ.ग.शासन)

द्वारा पुलिस थाना कुकोन्डा, जिला बस्तर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 374 (2) के अंर्तगत दांडिक अपील)

उपस्थित : अधिवक्ता श्री आर. के. जैन और श्रीमति किरन जैन अधिवक्ता,

अपीलार्थीगण की ओर से।

अधिवक्ता श्री जे. ए. लोहानी पेनल अधिवक्ता राज्य की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 18/10/2012 को पारित

माननीय श्री सुनिल कुमार सिन्हा न्यायाधीश के द्वारा

1. यह अपीलें दिनांक 14 फरवरी 1996 को प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बस्तर, जगदलपुर द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 275/93 में पारित निर्णय के विरुध्द प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, अपीलार्थी और उनके सह-अभियुक्त ताती मुक्का

(अभियुक्त-1) को भारतीय दंड संहिता की धारा 366, 368, 376, 376 2 (छ) और धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया गया और पहले चार अपराधों के लिए 5-5 वर्ष के कठोर कारावास तथा धारा 302/34 के अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही यह निदेश दिया गया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

2. तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार हैं:- पाँच अभियुक्त व्यक्ति अर्थात- ताती मुक्का (अभियुक्त-1), ताती भीमा (अभियुक्त-2), ताती माला (अभियुक्त-3), ताती लेगामी (अभियुक्त-4) और ताती लिंगा (अभियुक्त-5) का उपरोक्त अभियोगों के लिए विचारण हुआ। ताती लेगामी (अभियुक्त-4) विचारण के दौरान फरार हो गया इसलिए उसका मामला अलग कर दिया गया और शेष 4 अभियुक्तों के विरुद्ध विचारण समाप्त हुआ। ताती मुक्का (अभियुक्त-1) ने अलग अपील यानी दांडिक अपील संख्या 900/96 दायर की। अपील लंबित रहने के दौरान दिनांक 17.6.2005 को उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए ताती मुक्का अर्थात दांडिक अपील संख्या 900/96 की ओर से दायर अपील को उपशमित होने के कारण दिनांक 28/03/2006 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया । मृतक- ताती देवे, ताती जोगा (अ.सा.-5) की पत्नी थीं। अभियोजन पक्ष का मामला है कि दिनांक 19/09/1992 को लगभग 6.00 बजे शाम सभी अभियुक्त व्यक्ति (अभियुक्त-1 से अभियुक्त-5) ताती जोगा (अ.सा.-5) के घर आए और उनसे झगड़ने लगे यह कहते हुए कि उनकी पत्नी, ताती देवे (मृतक) ने उनकी मांग पर उन्हें सल्फी (एक स्थानीय शराब) नहीं दी। उन्होंने ताती जोगा (अ.सा.-5) को थप्पड़ मारा। यह देखकर, ताती देवे (मृतक) बचाव के लिए आईं। इस पर, अभियुक्त व्यक्तियों ने उन्हें (मृतक) भी पीटा और उन्हें जंगल की ओर ले गए। ताती जोगा (अ.सा.-5), डर के मारे, अपने घर से भाग गया। देर रात जब वह अपने घर आया, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी वहाँ नहीं थी। वह रात अकेला सो गया। सुबह, यानी दिनांक 20.9.92 को, उसने अपनी पत्नी का शव आयतू के लाड़ी (फसलों की रखवाली के लिए बनी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एक छोटी सी झोपड़ी) में लटका हुआ पाया। ताती जोगा (अ.सा.-5) के अनुसार, ताती पोड़िया (अ.सा.-2) ने उन्हें सूचित किया था कि अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतक की हत्या की थी। इसके बाद एक पंचायत बुलाई गई जिसमें अभियुक्त व्यक्ति ने अपना दोष स्वीकार किया। ताती जोगा (अ.सा.-5) ने उपरोक्तानुसार प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर. - प्र.-पी/6) और मर्ग सूचना (प्र.;पी/7) दर्ज कराई। अन्वेषण अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, पंचों को नोटिस (प्र.-पी/8) दिया और मृतक के शव का मृत्यु समीक्षा (प्र.-पी/9) तैयार किया। मृतक का शव अनुरोध प्र.-पी/10 द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कुअकोण्डा को शव-परीक्षण हेतु भेजा गया। शव-परीक्षण डॉ. (श्रीमती) सीमा सोनी (अ.सा.-1) द्वारा किया गया। उन्होंने शव की जांघों और छाती पर विभिन्न घर्षण देखे; गर्दन के चारो ओर रस्सी के चिन्ह पाये गये जो मृत्यु पूर्व की है भी पाया गया; योनि से खून बह रहा था; योनिच्छद फटा हुआ था; योनि के चारों ओर सूजन थी। उन्होंने राय दी कि मृतक के मरने से पहले उसके साथ जबरन लैंगिक संभोग किया गया था क्योंकि उसके शरीर पर संघर्ष के चिह्न थे। मृत्यु का कारण जबरन लैंगिक संभोग के कारण वैसो-योनियल आघात था, और मृत्यु की प्रकृति मानव वध प्रकार की थी। शव-परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी./1 है। योनि स्वैब से दो स्लाइड तैयार की गईं और संबंधित पुलिस अधिकारी को सौंप दी गईं। अभियुक्त व्यक्तियों को भी उनकी चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेजा गया (प्र.पी./12, पी/13, प्र.पी/14, प्र.पी/15 और प्र.पी/16) और उन्हें लैंगिक संभोग करने में सक्षम पाया गया। जब्त वस्तुओं को प्रदर्श पी. 17 द्वारा रासायनिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफ.एस.एल.), सागर भेजा गया (प्र.पी./17), लेकिन एफ.एस.एल. प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं की जा सकी। ताती पोड़िया (अ.सा.-2) पक्षद्रोही हो गया। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने ताती जोगा (अ.सा.-5) और ताती सुकरी (अ.सा.-6) की अभिकथनों पर विश्वास करते हुए अभियुक्त व्यक्तियों को उपरोक्तानुसार दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. श्री आर.के. जैन एवं श्रीमती किरण जैन, अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ताओं ने, यह तर्क किया कि अपीलार्थियों के विरुद्ध कोई भी साक्ष्य नहीं था। उपर्युक्त दोनों अभियोजन पक्ष के साक्षियों ने अभियोजन पक्ष के मामले का बिल्कुल समर्थन नहीं किया, फिर भी, अपीलार्थियों को दोषसिद्धि दी गई है जो अपास्त किए जाने योग्य है। उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि वर्तमान मामला साक्ष्य विहिन मामला है।

4. इसके विपरीत , राज्य की ओर से पेश विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री जे.ए. लोहानी ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

5. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की लंबी तर्के सुनने के बाद, हमने सत्र प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अब हम सत्र न्यायालय द्वारा भरोसा किए गए दो साक्षियों के साक्ष्य पर विचार करें।

7. ताती जोगा (अ.सा.-5) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतक उनकी पत्नी थी; उसकी हत्या अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा की गई थी और उसका शव एक लाड़ी में लटकाया गया था। उन्होंने अभिसाक्ष्यि दिया कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन लगभग 8.00 बजे सुबह, वह गाँव के तालाब में नहाने जा रहे थे। उनकी पत्नी ताती देवे अपने माता-पिता के गाँव- सोलनार जा रही थी। अभियुक्त व्यक्तियों ने रास्ते में उसकी हत्या की। फिर उन्होंने अभिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने अभियुक्त व्यक्तियों को अपनी पत्नी को पीटते या उसकी हत्या करते नहीं देखा। उन्होंने आगे अभिसाक्ष्यि दिया कि यहाँ तक कि जब वह नहाने जा रहे थे तो उन्होंने अभियुक्त व्यक्तियों को नहीं देखा। हालाँकि उन्होंने यह तर्क दिया कि चूंकि उनके पिता की हत्या अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा की गई थी इसलिए, उन्होंने उनकी पत्नी की भी हत्या की। घटना के अगले

दिन, जब वह पानी लेने जा रहे थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी का शव देखा। वह लटका हुआ था और उसे अनेक चोटें आई थीं। इसके बाद वह गाँव आए और ग्रामवासियों को बताया। फिर एक गॉव की पंचायत बुलाई गई। फिर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त व्यक्ति ग्राम पंचायत में उपस्थित नहीं थे। पंचायत में उपस्थित व्यक्तियों ने कहा कि चूंकि अभियुक्त व्यक्तियों ने उनके पिता की हत्या की थी, इसलिए, उन्होंने मृतक की भी हत्या की होगी। यह कहकर, उन्होंने उन्हें एक शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। इसके बाद वह शिकायत दर्ज कराने गए। यही कथन उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में किया है । प्रतिपरीक्षण में, उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि पंचायत में यह तय किया गया था कि चूंकि अभियुक्त व्यक्तियों ने उनके पिता की हत्या की है, इसलिए, उनके विरुद्ध एक शिकायत दर्ज करानी होगी। पटेल, हिड़िया, सरपंच- हुंगा, कोतवार- दुला, पंजामी और आयतू पंचायत में उपस्थित थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. ताती जोगा (अ.सा.-5) के साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर हम पाते हैं कि न तो उन्होंने अपीलार्थियों को मृतक के साथ मारपीट करते देखा और न ही उन्होंने उन्हें मृतक के साथ जबरन लैंबिक संभेग बनाते देखा। इसके विपरीत, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि, यहाँ तक कि उन्होंने घटना की तारीख को अभियुक्त व्यक्तियों को नहीं देखा था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त व्यक्ति पंचायत में उपस्थित नहीं थे। इसलिए, उनके द्वारा स्वीकारोक्ति देने का कोई प्रश्न ही नहीं था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि चूंकि अभियुक्त व्यक्तियों ने उनके पिता की हत्या की थी, इसलिए, पंचायत के लोगों ने सुझाव दिया कि उन्होंने उनकी पत्नी की भी हत्या की होगी और उन्होंने उन्हें प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराने का निर्देश दिया, और तभी उन्होंने प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी/6) उपरोक्त तरीके से दर्ज कराई। हमारा विचार है कि ताती जोगा (अ.सा.-5) के साक्ष्य से

अपीलार्थियों के विरुद्ध कुछ भी प्रतिकूल सिद्ध नहीं हुआ और सत्र न्यायाधीश ने उनके अभिवचन पर भरोसा करते हुए त्रुटि की है ।

9. ताती सुकरी (आ.सा.-6) मृतक की सास हैं। उन्होंने अभिसाक्ष्य दिया कि बहुत पहले उनके पति- बुध्दू की हत्या अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा की गई थी। वर्तमान घटना के बारे में, उन्होंने अभिसाक्ष्य दिया कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन लगभग 6.00 बजे शाम, वह पानी लेने जा रही थीं। उनकी बहू (मृतक- देवे) अपने माता-पिता के घर जा रही थी। उन्होंने देखा कि देवे का अभियुक्त व्यक्तियों ने पीछा किया। सभी अभियुक्त व्यक्ति चाकू लेकर चल रहे थे। अभियुक्त व्यक्तियों ने उनकी बहू की हत्या जंगल के पास की। उन्होंने अभिसाक्ष्य दी कि चूंकि उन्होंने उनके पति की हत्या की थी, इसलिए, उन्होंने उनकी बहू की भी हत्या की होगी। उनकी बहू का शव आयतू के लाड़ी में लटका हुआ पाया गया। उन्होंने अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्होंने अकेली घटना देखी थी। ताती सुकरी (आ.सा.-6) का उनके केस डायरी बयान (प्र.-डी/1) के साथ सम्मुखन कराया गया। उपरोक्त सभी तथ्य जैसे अभियुक्त व्यक्तियों को देखना; उनके द्वारा हाथों में चाकू लेकर मृतक का पीछा करना; जंगल के पास मृतक की हत्या करना, उनके केस डायरी बयान (प्र.-डी/1) जो धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अभिलिखित किया गया है में विलोपित है । वह कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकीं कि पुलिस द्वारा ये तथ्य क्यों अभिलिखित नहीं किए गए । उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने पुलिस को बताया था कि अभियुक्त व्यक्तियों ने उनकी बहू का शव आयतू के लाड़ी में लटकाया था, और यदि उक्त तथ्य भी उनके केस डायरी बयान (प्र.-डी/1) में उल्लिखित नहीं है, तो वह इन सभी विलपनों का कारण नहीं बता सकतीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. ताती सुकरी (आ.सा.-6) के साक्ष्य के मूल्यांकन में, हम पाते हैं कि उन्होंने न्यायालय के समक्ष एक नई कहानी प्रस्तुत की । उन्होंने न्यायालय के समक्ष चश्मदीद गवाह के रूप में अपनी गवाही दर्ज कराई, जबकि, उनके डायरी बयान के

अनुसार, वह चश्मदीद गवाह नहीं थीं और उन्हें उनके बेटे ने घटना के बारे में बताया था। उनके अनुसार, चूंकि अभियुक्त व्यक्ति उनके पति की हत्या करने के अपराधी थे, इसलिए, उन्हें दृढ़ संदेह था कि उन्होंने मृतक की भी हत्या की होगी। इस ताती सुकरी (आ.सा.-6) के केस डायरी बयान (प्र.-डी/1) में उपर्युक्त महत्वपूर्ण विलपनों की दृष्टीगत रखते हुए , हमारा विचार है कि वह भी अविश्वसनीय थीं।

11. यहाँ तक कि अन्यथा भी, हम पाते हैं कि दोनों साक्षियों ने न्यायालय के समक्ष एक नई कहानी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जो अभियोजन पक्ष के मामले में बिल्कुल नहीं थी। प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.-पी/6) में उल्लिखित एकमात्र चश्मदीद गवाह, अर्थात- ताती पोड़िया (आ.सा.-2) पक्षद्रोही हो गया है। उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. मूल्यांकन करने पर हम पाते हैं कि अपीलार्थियों को मृतक के बलात्कार या हत्या कारित करने के उपर्युक्त अपराधों से जोड़ने के लिए कोई भी साक्ष्य नहीं था। हमारा विचार है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने ताती जोगा (आ.सा.-5) और ताती सुकरी (आ.सा.-6) की अभिकथनों पर भरोसा करते हुए, जो बिल्कुल विश्वसनीय नहीं थे, अपीलार्थियों को उपर्युक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराते समय त्रुटि की।

13. उपर्युक्त कारणों से, अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 366, 368, 376, 376 (2) (छ) 81, 302/34 के तहत दी गई दोषसिद्धि और दण्ड अपास्त की जाती हैं। अपीलार्थियों को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

सही/-

मुख्य न्यायाधीश

सही/-

श्री सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Yashpal Singh

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur